न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 764–पीबीआर/2014 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
30–4–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28–12–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा कोटवार पद पर अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति बिना नियमों का पालन किए अवैधानिक रूप से की गई थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । तर्क के दौरान यह पूछे जाने पर कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष पक्षकार नहीं है, अतः क्या उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार है । उत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा बताया गया कि प्रत्येक ग्रामवासी को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार है, और इसी अधिकार के तहत आवेदक की ओर से निगरानी प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा उक्त तर्क के समर्थन में 1992 आर.एन. 355 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक पक्षकार नहीं है, और अपर आयुक्त के आदेश से आवेदक के हित प्रभावित होना भी परिलक्षित नही होता है, इसलिये आवेदक के हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि प्रत्येक ग्रामवासी को म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत करने का	

अधिकार है, क्योंकि कोटवारी प्रकरण में ग्रामवासी हितबद्ध पक्षकार नहीं होते हैं । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा जो न्याय दृष्टांत 1992 आर.एन. 355 प्रस्तुत किया गया है, उसके तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण वह इस प्रकरण में लागू नहीं होता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष

राजस्व. पुनरिक्षण याचिका. ..../2014

प्रस्तुती दिनांक /02/2014

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर के समक्ष

2.764-PBR/14

1. अनिल पिता भागीरथ
   निवासी– ग्राम शिवरिया तह. पुनासा जिला खण्डवा म.प्र.

–––––प्रार्थी

विरूद्व

1. कमलेश पिता बुखारदास गरवै
   निवासी– ग्राम शिवरिया तह. पुनासा जिला खण्डवा म.प्र
2. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार पुनासा जिला खण्डवा (म.प्र.)

–––––प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू –राजस्व सं.1959

यह राजस्व पुनरिक्षण याचिका न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण 570/अपील/2012–13 कमलेश पिता बुखारदास विरुद्व म.प्र. शासन में दिनांक 28.12.2013 को पारित आदेश से अंसतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–